# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :-** मांगीलाल (आर.ए.एस.)

**राजस्व वाद संख्या :-** 244/2022

**राजस्व वाद :-** अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

| **वादीगण** | **बनाम** | **प्रतिवादीगण** |
|---|---|---|
| 1. मदनलाल पुत्र रूपाराम | | 01. मोहनलाल पुत्र जैताराम |
| 2. रामेश्वरलाल पुत्र रूपाराम | | 02. पुखराज पुत्र जैताराम |
| 3. लक्ष्मणराम पुत्र रूपाराम | | 03. धूड़राम पुत्र जैताराम |
| 4. हनुमानराम पुत्र रूपाराम | | 04. श्रीराम पुत्र जैताराम |
| जाति ब्राह्मण निवासी चाम्पासर | | 05. छगनलाल पुत्र जैताराम |
| तहसील घंटियाली जिला जोधपुर | | 06. धनाराम पुत्र जैताराम |
| | | 07. गीता देवी पत्नि रूपाराम |
| | | 08. सरलादेवी पुत्री रूपाराम |
| | | 09. सन्तोष देवी पुत्री रूपाराम |
| | | 10. हवादेवी पुत्री रूपाराम |
| | | 11. माधुराम पुत्र रूपाराम सर्वजाति ब्राह्मण नि.चाम्पासर तह. घंटियाली जिला जोधपुर |
| | | 12. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, घंटियाली |

उपस्थित:-

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वादीगण की और से
2. श्री मूलचन्द सुथार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 11

## निर्णय

दिनांकः- 10.01.2024

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 383 रकबा 9.6396 हैक्टेयर (59-11 बीघा) सरहद ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला जोधुपर में आई हुई है जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2077-2080 संलग्न वादपत्र पेश है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट [illegible]नी बन्दोबस्त अनुसार छः मूल खातेदारान को प्रत्येक 1/6 हिस्सा के रूप में दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

एक खातेदार द्वारा अपना 1/6 हिस्सा यानि रकबा 9-18 बीघा अग्रिम बैचान करने के साथ ही शेष खातेदारान के 5/6 हिस्से यानी रकबा 49-13 बीघा का खाता अलग कर दिया जो संवत 2073-2076 तक चला आ रहा था। एकीकरण के बाद वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 383 रकबा 59-11 बीघा वर्तमान जमाबंदी अनुसार है। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि पर वादीगण का अपने पैतृक हिस्से अनुसार रकबा 21.14 बीघा भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा वादीगण के अपने हिस्से की भूमि में अपनी अगल रहवासीय ढणियां, पानी के टांके, पालतु मवेशीयों के लिये बाड़े इत्यादि बनाये हुवे है जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की है। जमाबंदी संवत 2073-2076 अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 383 रकबा 49-13 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 8 ता 11 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 7 के पति रूपाराम पुत्र रूगनाथराम के नाम से राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण सं. 793 मौजा चाम्पासर कन्हैयालाल व जैता के हक्तर्क के बाद वादग्रस्त भूमि के रकबा 49-13 बीघा में 7/16 हिस्सा यानि रकबा 21.14 बीघा भूमि दर्ज थी। जब उक्त भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 8 ता 11 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 7 के पति रूपाराम पुत्र रूगनाथराम फौत हुए तो मुतवफी रूपाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 1151 मौजा चाम्पासर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ था। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा रूपाराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण सं. 1151 मौजा चाम्पासर जमांबदी चौसाला संवत 2073-2076 में अमल दरामद करते समय लिपकीय भूल से मुतवफी रूपाराम के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 के साथ प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को भी खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 ता [illegible] पुत्र रूगनाथ के वारिसान है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता [illegible] पुत्र रूगनाथ के प्रथम श्रेणी के वारिसान है और उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 का ही हक व हिस्सा निहित है। इसलिये वादीगण ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 383 रकबा 9.6396

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

हैक्टेयर भूमि में अपना व प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है। वर्तमान में जमाबंदी चौसाला संवत 2073-2076 में गलत दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण सं. 7 ता 10 ने भूलवश अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 11 के पक्ष में जरिये पंजबीद्ध हक्तर्कनामा के त्याग दिया जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 11 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1173 मौजा चाम्पासर भरा जाकर स्वीकृत हुआ तथा उक्त जमाबंदी चौसाला संवत 2073-2076 में सरासर गलत रूप से दर्ज हिस्से अनुसार ही जैताराम के वारिसान पुष्पा, उगमा, गुडी व राधा ने अपना हक व हिस्सा जरिये पंजीबद्ध हक्तर्कनामा के त्याग दिया जिसके आधार पर नामान्तरकण सं. 1196 मौजा चाम्पासर भरा जाकर स्वीकृत हुआ जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का कानूनन कोई हक व हिस्सा ही निहित नहीं था। इसलिये वादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 383 में नामान्तकरण सं. 1173 व 1196 मौजा चाम्पासर को अपने हिस्से तक निरस्त करवा कर ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 383 रकबा 9.6396 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का नाम विलोपित करवा कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 11 को रकबा 21.14 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है जिसका यह खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश है। वादीगण प्रत्येक वर्ष बरसात में उक्त भूमि में अपने पैतृक हिस्से अनुसार काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग करते आ रहा है तथा वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणिया, पानी के टांके इत्यादि बनाये हुवे है तथा रहवासी ढाणियों में वादीगण अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। वादीगण दिनांक 15/10/2022 को उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने पैतृक हिस्सा की भूमि की सार संभाल कर रहे थे तभी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 एकराय होकर हाथों में लाठियां लेकर वादीगण के कब्जासुदा खेत में आए और वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि में मौके पर भले तुम्हारा कब्जा काश्त तुम्हारे पैतृक हिस्से अनुसार हो पर कागजो में उक्त भूमि हमने अपने नाम करवा दी है। तुम सब उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लो नहीं तो हम तुम्हे इस भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल करके ही रहेंगे उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम से दर्ज है आपका उक्त भूमि कोई हक हिस्सा नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested

भूमि से बेदखल करके ही रहेंगे। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गैरकानूनी और विधि विरूद्ध कृत्यों को करने पर आमदा है इसके विपरीत वादीगण गरीब एवं सीधे व्यक्ति है जो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का मुकाबला करने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेंगा। इसलिये प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को जरिये कानून रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये वादीगण के पक्ष में ओर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 383 रकबा 9.6396 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के अपने पैतृक हिस्से अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की और से अधिवक्ता श्री मुलचन्द सुथार ने वकालतनामा पेश किया और प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 की और से इकबालिया जवाब व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की और से प्रार्थना पत्र वास्ते वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किये जाने का पेश किया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

ग्राम चाम्पासर की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के अनुसार खसरा नम्बर 383 रकबा 49.13 बीघा में रूपा पि. रूगनाथ का 7/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। रूपा पि. रूगनाथ की फौतेदगी के पश्चात विरासत नामान्तरण संख्या 1151 के द्वारा वादीगण और प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के नाम दर्ज? [illegible] ओट में रूपा पि. रूगनाथ 7/16 के स्थान पर वादीगण और? [illegible] 11 के साथ-साथ जैताराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या [illegible] पुष्पा, उगमा पुत्रियां जैताराम भी दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व पुष्पा, उगमा रूपा के वारिसान न होकर जैताराम के वारिसान है। तत्पश्चात् हक्तर्कनामा के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के अपना हिस्सा वादीगण और प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में तथा पुष्पा तथा उगमी ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में हक्तर्क जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 1173 और 1196 दर्ज किये गये। स्पष्टतः रूपा पि. रूगनाथ के नाम खसरा नम्बर 383 रकबा 49.13 बीघा में 7/16 हिस्से में रूपा के वारिसान का नाम ही दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना चाहिये था लेकिन सहवन से रूपा के वारिसान के साथ-साथ जैता के वारिसान का नाम भी दर्ज कर दिया गया है जो कि न्यायालय के अभिमत में विधि विरूद्ध है। उक्त वादग्रस्त भूमि में रूपा पि. रूगनाथ की फौतेदगी के पश्चात् केवल रूपा के वारिसान वादीगण और प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का हक व हिस्सा निहित है दूसरे हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 ने भी जरिये इकबालदावा वादपत्र को स्वीकार किया है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण का वाद दस्तावेजात से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण मुताबिक इकबालदावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा चाम्पासर के खसरा नम्बर 383 रकबा 9.6396 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 को रकबा 21.14 बीघा भूमि का का खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

# डिगरी बमुकदमें इबतदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. मदनलाल पुत्र रूपाराम<br>2. रामेश्वरलाल पुत्र रूपाराम<br>3. लक्ष्मणराम पुत्र रूपाराम<br>4. हनुमानराम पुत्र रूपाराम<br>जाति ब्राह्मण निवासी चाम्पासर<br>तहसील घंटियाली जिला जोधपुर | | 01. मोहनलाल पुत्र जैताराम<br>02. पुखराज पुत्र जैताराम<br>03. धूड़ाराम पुत्र जैताराम<br>04. श्रीराम पुत्र जैताराम<br>05. छगनलाल पुत्र जैताराम<br>06. धनाराम पुत्र जैताराम<br>07. गीता देवी पत्नि रूपाराम<br>08. सरलादेवी पुत्री रूपाराम<br>09. सन्तोष देवी पुत्री रूपाराम<br>10. हवादेवी पुत्री रूपाराम<br>11. माधुराम पुत्र रूपाराम<br>सर्वजाति ब्राहमण नि.चाम्पासर<br>तह. घंटियाली जिला जोधपुर<br>12. राज्य सरकार जरिये श्रीमान<br>तहसीलदार, घंटियाली |

**दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट** **मुकदमा संख्या :- 244/2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे
व हाजिर विजय तंवर मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि मौजा चाम्पासर के खसरा नम्बर 383 रकबा 9.6396 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 को रकबा 21.14 बीघा भूमि का का खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। नीचे

| | |
|---|---|
| मुतालिक | बाबत् |
| खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर | फीस सदी सालाना आज की तारीख |
| वसूल याबी तक | को अदा करे। |

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2024 को जारी की गई।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमीशनर | | |
| फीस कमीशनर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:24:13 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।